

भाग-2

7		परियोजना/स्कीम का स्थान	:	765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर, मैनपुरी, कन्नौज तथा उन्नाव वन प्रभागों की कुल 10.7969 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति
	i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	:	उत्तर प्रदेश
	ii)	जिला	:	मैनपुरी
	iii)	वन प्रभाग	:	सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी
	iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए वन भूमि का क्षेत्र	:	1.5364
	v)	वन का कानूनी स्थिति	:	संरक्षित वन
	vi)	हरियाली का घनत्व	:	0.4
	vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर.एल. एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किया जाये)	:	मैनपुरी वन प्रभाग में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के बाधक वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।
	viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	:	नहीं
	ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	:	प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन वन क्षेत्र के ऊपर से गुजरेगी।
	x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए)	:	नहीं
	xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	:	नहीं
	xxi)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	:	नहीं
8		प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्योरा के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	:	प्रस्तावित क्षेत्र अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया:- (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	:	नहीं
10		प्रतिपूरक वनीकरण का ब्योरा	:	
	i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	:	-
	ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप	:	-

	iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि।	:	—
	vi)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	:	—
	v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकी दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।	:	—
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (x, xi) 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न कर)	:	संलग्न है।
12		विभाग/जिला प्रोफाइल	:	
	i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	:	275900 हेक्टेयर
	ii)	जिले का वन क्षेत्र	:	1420.42 हेक्टेयर
	iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	:	217.9956
	vi)	1980 से जिला/प्रयोग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	:	
		(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण	:	—
		(ख) वनेत्तर भूमि पटन	:	176.9956
	v)	तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	:	—
		(क) वनभूमि	:	
		(ख) ऊसर भूमि पर	:	6.1
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	:	प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।


प्रभागीय निदेशक
 प्रभागीय निदेशक प्रभाग
 सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी
